पत्रांक – 13/नि॰ वि॰ EODB-11/17-----

झारखण्ड सरकार

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

प्रेषक,

बाल मुकुन्द झा,
निबंधन महानिरीक्षक,
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग,
झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

सभी जिला अवर निबंधक,
सभी अवर निबंधक, झारखण्ड।

राँची, दिनांक : ....

विषय :– **दिनांक 01.08.2017 से सभी निबंधन कार्यालयों में विलेख के अनिवार्य रूप से ऑन लाईन प्रस्तुतीकरण के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि भारत सरकार के Ease of Doing Businees के अन्तर्गत जनसाधारण की सुविधा हेतु समस्त निबंधन कार्यालयों में दिनांक–01.08.2017 से समस्त प्रकार के विलखों को प्री–रजिस्ट्रेशन के माध्यम ऑन लाईन प्रस्तुतीकरण का निर्णय लिया गया है।

अतः निदेश दिया जाता है कि इस संबंध में जनसाधारण को सूचित करने हेतु सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें तथा दिनांक–01.08.2017 से केवल ऑन लाईन प्रस्तुत दस्तावेज का ही निबंधन करें।

विभाग द्वारा ऑन लाईन अपाईटमेंट की सुविधा देने हेतु भी मॉड्यूल Live कर दिया गया है, जिसके संबंध में पूर्व में आपको सूचित किया जा चुका है। निदेश दिया जाता है कि इस संबंध में भी समान्य जनसाधारण को अवगत कराना सुनिश्चित करें जिससे इस सुविधा का लाभ आम जनता द्वारा प्राप्त किया जा सके।

विश्वासभाजन

ह0/–

(बाल मुकुन्द झा)

निबंधन महानिरीक्षक।

ज्ञापांक :–13/नि॰ वि॰ EODB-11/17-----596/नि॰ रांची, दिनांक 20-7-17

प्रतिलिपि :– मुख्य सचिव, झारखण्ड के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, रांची के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक, उधोग, विभाग के प्रधान आप्त सचिव झारखण्ड, रांची को सूचनार्थ प्रेषित।

20.7.17

निबंधन महानिरीक्षक।